न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
199/2013	27.12.2013	24/3/2025

1. श्रीमती लक्ष्मा पुत्री गंगाधर पत्नी भजन जाति बैरवा निवासी खूंटला हाल निवासी गढखेडा तहसील नादौती
2. श्रीमती भौती पुत्री गंगाधर पत्नी प्रभात्या जाति बैरवा निवासी खूंटला हाल निवासी भयपुरा तहसील बामनवास (मृतक)

2/1.परभात्या पुत्र रामचन्द, बैरवा निवासी भयपुरा तहसील बागनवास
2/2.मुकेश पुत्र परभात्या, बैरवा निवासी भयपुरा तह0 बामनवास ——वादीगण

बनाम

1. देवचन्द पुत्र गंगाधर जाति बैरवा निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
2. नेहन्या पुत्र भोड्या जाति बैरवा निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
3. भरतलाल पुत्र देवचन्द जाति बैरवा निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
4. रामहेत पुत्र देवचन्द जाति बैरवा निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
5. शिवलाल पुत्र देवचन्द जाति बैरवा निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
7. रामनिवास पुत्र परभात्या, बैरवा निवासी भयपुरा तह0 बामनवास
8. रामनिवासी पुत्री परभात्या, बैरवा निवासी भयपुरा तह0 बामनवास
9. रमेशी पुत्री परभात्या पत्नी रेवडमल, बैरवा नि0 ककराला तह0 बामनवास

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादीगण ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खूंटला में वादीगण के बुजुर्ग भोलू पुत्र काना की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि मुताबिक जमाबंदी सं0 2003 से 2022 ख0नं0 45 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, ख0नं0 48 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, ख0नं0 897 रकबा 12 विस्वा, ख0नं0 1149 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, ख0नं0 1202 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा, ख0नं0 1370 रकबा 6 बीघा ... ख0नं0 1518 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, ख0नं0 1533 रकबा 1 बीघा 6 वि0 कुल रकबा 23 बीघा 7 विस्वा रही है। एकीकरण के दौरान उपरोक्त वर्णित भूमि के ख0नं0 14...

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(...)

2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 380 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 390 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 13 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 389 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 809 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा कायम किए गए। भू–प्रबन्ध के दौरान एकीकरण में दर्ज उपरोक्त वर्णित भूमि के ख0नं0 29 रकबा 75 एयर, ख0नं0 32 रकबा 61 एयर, ख0नं0 981 रकबा 77 एयर, ख0नं0 982 रकबा 1 एयर, ख0नं0 995 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1010 रकबा 76 एयर, ख0नं0 1681 रकबा 35 एयर, ख0नं0 980 रकबा 56 एयर, ख0नं0 983 रकबा 50 एयर, ख0नं0 1026 रकबा 16 एयर, ख0नं0 1027 रकबा 20 एयर कुल रकबा 5.67 है0 कायम किए गए हैं। पक्षकारान एक ही बुजर्ग की संतान हैं। पक्षकारान के पारिवारिक सजरा अनुसार भोलू पुत्र काना के एक पुत्र गंगाधर हुआ। गंगाधर के पुत्र भोडया व देवचंद तथा पुत्री भौती व लक्ष्मी हुई। भोडया के पुत्र परमल व नहन्या हुआ है। परमल लाऔलाद फौत हो गया है जिसका वारिस उसका भाई नहन्या है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात पक्षकारों के बुजुर्ग भोलू की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। इसमें वादीगण एवं दोनों पुत्र भोडया व देवचंद बराबर बराबर के सहखातेदार टीनेन्ट रहे हैं। भोलू के मरने के बाद उपरोक्त वर्णित आराजियात का विरासत का नामान्तरकरण उसके पुत्र गंगाधर के पक्ष में होना चाहिए था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से भोलू के मरने के बाद एकीकरण में भूमि ख0नं0 314 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 380 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 390 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का इन्द्राज खातेदारी मरमल पुत्र भोडया के हक में कर दिया गया जो वोइड एवं इल्लीगल है। बाकी भूमि ख0नं0 13 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 389 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 809 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का इन्द्राज खातेदारी गंगाधर के नाम कर दिया गया। गंगाधर एवं परमल दोनों का निधन हो चुका है। हाल भू प्रबन्ध में उपरोक्त वर्णित आराजियात में से ख0नं0 981 रकबा 77 एयर, ख0नं0 982 रकबा 1 एयर, ख0नं0 995 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1010 रकबा 76 एयर, [illegible] 1681 रकबा 35 एयर का इन्द्राज खातेदारी देवचन्द एवं नहन्या [illegible] ख0नं0 29 रकबा 75 एयर, ख0नं0 32 रकबा 61 एयर में [illegible] गंगाधर हिस्सा 1/4, नहन्या पुत्र लोहड्या हिस्सा 3/4 तथा ख0नं0 980 र[illegible]बा 56 एयर, ख0नं0 983 रकबा 50 एयर, ख0नं0 1026 रकबा 16 एयर, ख0नं0 1027 रकबा 20 एयर का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादी नहन्या के नाम कर दिया जबकि उपरोक्त वर्णित आराजियात की पैत्रक सम्पत्ती है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत पैत्रक सम्पत्ती में पुत्र–पुत्रियों का बराबर का हिस्सा होता है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त आराजियात में वादीगण 1/2 हिस्से के एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/4 का खातेदार टीनेन्ट है। वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजियात को प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काश्त करती चली आ रही है जो अपनी अपनी ससुराल में रहते हुए भी समय समय पर आकर काश्त की व्यवस्था करती है और भूमि संभालती है। वादीगण चूंकि बिना पढी लिखी महिलाऐंहै इसलिए राजस्व रिकार्ड के बारे में नहीं जानती हैं तथा प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपनी मनमर्जी से खातेदारी दर्ज करवा ली है। इसका वादीगण को कभी पता नहीं चला । वादीगण दिनांक 13.7.2006 को उपरोक्त वर्णित आराजियात को काश्त करने गई तो प्रतिवादीगण झगडा करने लगे और कहने लगे कि उपरोक्त वर्णित भूमि का इन्द्राज खातेदारी हम लोगों के हक में चला आ रहा है इसलिए तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। इस पर वादीगण ने राजस्व अभिलेख की नकलें ली तो वादीगण को प्रतिवादीगण की चालाकी का ज्ञान हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 ने ख0नं0 980 रकबा 1.30 है0 में से 75 एयर का विक्रय दिनांक 19.6.96 को प्रतिवादी संख्या 3 भरतलाल, प्रतिवादी संख्या 4 रामसहाय एवं प्रतिवादी संख्या 5 शिवलाल के हक में कर दिया है जो वादीगण के विरूद्ध वोइड एवं इनइफेक्टिव है। इस विक्रय से वादीगण कतई पाबंद नहीं हैं। अतः वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणां की जावे कि ख0नं0 29 रकबा 75 एयर, ख0नं0 32 रकबा 61 एयर, ख0नं0 981 रकबा 77 एयर, ख0नं0 982 रकबा 1 एयर, ख0नं0 995 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1010 रकबा 76 एयर, ख0नं0 1081 रकबा 35 एयर, ख0नं0 983 रकबा 50 एयर, ख0नं0 1026 रकबा 16 एयर, ख0नं0 1027 रकबा 20 एयर कुल रकबा 5.67 है0 ग्राम खूंटला में वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट हैं और इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर 1/2 हिस्से का वादीगण के हक में खातेदारी इन्द्राज किया जावे और 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 व 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 के हक में खातेदारी इन्द्राज किया जा[illegible] विक्रयपत्र दि0 19.6.1996 जो प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी [illegible] [illegible]या है, को वादीगण के विरूद्ध वोइड एवं इन[illegible] [illegible] जावे। उपरोक्त वर्णित आराजियात का बंटवारा किया जाकर भूमि के 1/[illegible] हिस्से का वादीगण के हक में अलग से खाता कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे कोई बाधा पैदा नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 लगायत 5 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वाद में वर्णित आराजियात के अलावा ख0नं0 644 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि एकीकरण से पूर्व पक्षकारों के बुजुर्ग भोडया पुत्र काना की ओर थी। इस भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 नहन्या के पिता भोडया ने उम्मेद पुत्र जीवन मुसलमान को विक्रय कर दी एवं विक्रय राशि भोडया ने अपने ही पास रख ली और इस प्रकार उक्त आराजियात में जो कि साबिक खसरा नम्बर एकीकरण से पूर्व 45, 48, 897, 1149, 1202, 1370, 1518, 1533 थे, में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 3 बीघा 4 बिस्वा का कम हो जाता है। उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा वादीगण का है। हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में 3 बीघा भूमि शेष रहती है। प्रतिवादी संख्या 2 का पिता पूर्व में जो भूमि विक्रय कर चुका है जो उसके खाते से कम होनी है। विवादित आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में 1/4 भूमि आती है जिसमें से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि उसका पिता पहले ही विक्रय कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने खसरा नम्बर 29 व 32 के हिस्सा 1/2 को प्रतिवादी शिवलाल एवं रामसहाय पुत्र देवचन्द जो कि दावे में मिन प्रतिवादीगण का ही कब्जा है को 22000/—रू0 में विक्रय कर कब्जा करा चुका है जिसमें तकमील मुआयदे का दावा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) गंगापुर सिटी में चल रहा है। इस प्रकार ख0नं0 29 व 32 में प्रतिवादी संख्या 2 का कोई हिस्सा नहीं रहा है और ख0नं0 980 रकबा 1.31 है0 भूमि में से 75 एयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 नहन्या ने दि0 19.9.96 को प्रतिवादी भरतलाल, शिवलाल व रामसहाय को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेच दिया जिसका नामान्तरकरण भी हो चुका है एवं भूमि पर इनका ही कब्जा है। ख0नं0 27 को प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी भरतलाल, शिवलाल व रामसहाय को दिनांक 21.7.94 को 40000/—रू0 में विक्रय कर कब्जा करा दिया जिसका तकमील मुआयदे का दावा [illegible] न्यायाधीश (क0ख0) गंगापुर सिटी में चल रहा है। इसी [illegible] संख्या 2 ने हाल ख0नं0 1026, 1027 में प्लाटिंग कर भूमि [illegible] करना प्रारम्भ कर दिया है और इस भूमि के कब्जे काश्त में भी वह जबाबद[illegible]न के साथ मजाहमत पैदा कर रहा है। पक्षकारों के बुजुर्ग भोला की कुछ भूमि रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

की गई थी जिसके मुआवजे की पूरी राशि प्रतिवादी संख्या 2 ने ही रख ली जिसके लिए अलग से कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकार अब विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 2 का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है। उक्त आराजियात में हिस्सा 1/2 वादीगण का व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 व 3 लगायत 5 का है। हाल ख0नं0 1026, 1027 में से प्रतिवादी संख्या 2 ने रामसहाय गूजर, रामचरण गूजर, रामधन गूजर, टीटम मीना व कन्हैया बैरवा को प्लाट काटकर बेच दिए हैं जिनमें इनके रिहायशी मकान बन गए हैं। विक्रय की राशि अकेले नहन्या ने ही रख ली है। हाल ख0नं0 981 रकबा 77 एयर, ख0नं0 982 रकबा 1 एयर, ख0नं0 983 रकबा 50 एयर, ख0नं0 995 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1010 रकबा 76 एयर, ख0नं0 1681 रकबा 35 एयर सम्पूर्ण एवं हाल ख0नं0 29 रकबा 75 एयर, ख0नं0 32 रकबा 65 एयर के हिस्से 1/2 पर प्रतिवादीगण जवाबदारान का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण उक्त आराजियात में से इन नम्बरान की खातेदारी प्रतिवादीगण जवाबदारान के हक में रखी जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ फरमाया जावे। ख0नं0 983 में प्रतिवादी देवचन्द ने 2 पुख्ता कमरे 2 छानपोश मकान बना रखे हैं जो करीब 20 साल पुराने है तथा एक पानी की टंकी बना रखी है। इसी भूमि में प्रतिवादी मवेशी बांधता है तथा मवेशियों के लिए ठान, खनोटे बना रखे हैं। इन मकानो में प्रतिवादी देवचन्द परिवार सहित रिहायश करता है तथा ख0नं0 981, 982, 983 की पत्थरगढी भी जवाबदारान ने कर रखी है तथा कुए पर जवाबदारान का इंजन रखा हुआ है जिससे खेतों की पिलाई जवाबदारान ही करते हैं। ख0नं0 981 व 983 के बीच में करीब 35 साल पूर्व देवचन्द ने कुआ बनवाया है जो अब करीब 150000/— की कीमत का है तथा ख0नं0 981 में देवचन्द ने परीत बाबा का स्थान बना रखा है जिसमें सभी परिवार के लोगों की मान्यता है। ख0नं0 981, 982, 983 को देवचन्द के तीनों पुत्र भरतलाल, शिवलाल व रामसहाय ने अलग अलग बांट रखे हैं व अलग अलग ही काश्त कर रहे हैं। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक जवाब दावा निर्णित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 नहन्या ने अपना जवाब दावा वादीगण के दावे को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 की खास व सगी बहनें हैं, उन्हीं से अपने हिस्से की मांग उठा सकती है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई:—

1. आया वादपत्र के मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि वादीगण के बुजुर्ग भोलू पुत्र काना की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 2 का 124 हिस्सा है। ——वादीगण

2. आया प्रतिवादी नं0 2 ने आराजी ख0नं0 980 में से 75 एयर भूमि का विक्रय दिनांक 19.6.96 को प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 को कर दिया जो वादीगण के विरूद्ध वोइड एवं इनइफैक्टिव है। ——वादीगण

3. आया वादग्रस्त भूमि में वादीगण 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणां अपने नाम कराने, इस हिस्से का खाता अपने नाम पृथक से दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।——वादीगण

4. आया वादपत्र में वर्णित भूमि के अलावा ख0नं0 644 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा भूमि एकीकरण से पूर्व पक्षकारों के बुजुर्ग भोडया पुत्र काना की ओर थी जिसे प्रतिवादी नं0 2 नहन्या के पिता भोडया ने उम्मेद पुत्र जीवन मुसलमान को विक्रय कर दिया एवं पूरी विक्रय राशि भोडया ने अपने पास ही रख ली इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 3 बीघा 4 विस्वा कम हो जाता है। ——प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 5

5. आया भूमि ख0नं0 29 व 32 के हिस्सा 1/2 को प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी शिवलाल एवं रामसहाय को विक्रय कर भूमि का कब्जा संभला दिया जिसके बाबत् तकमील मुआयदा का दावा प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध सिविल न्यायालय में चल रहा है। इस प्रकार ख0नं0 29 व 32 में प्रतिवादी सं0 2 का कोई हिस्सा नहीं रहा है। ——प्रतिवादी नं0 1, 3 ता 5

6. आया भूमि ख0नं0 980 में से 75 एयर भूमि प्रतिवादी सं0 2 नहन्या ने दिनांक 19.9.96 को प्रतिवादी भरतलाल, शिवलाल व रामसहाय को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दी है एवं अब यह भूमि भरतलाल, शिवलाल व रामसहाय के नाम दर्ज है। ——प्रतिवादी नं0 1, 3 ता 5

7. आया ख0नं0 27 को प्रतिवादी सं0 2 ने दिनांक 21.7.94 को प्रतिवादी भरतलाल, शिवलाल व रामसहाय को विक्रय कर भूमि का कब्जा संभला दिया जिसका तकमील मुआयदे का दावा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

——प्रतिवादी नं0 1, 3 ता 5

8. आया भूमि ख0नं0 1026, 1027 में प्लाट काटकर प्रतिवादी नं0 2 नहन्या ने रामसहाय गुर्जर, रामचरण गुर्जर, रामधन गुर्जर, टीटम मीना व कन्हैया बैरवा को प्लाट विक्रय कर दिए हैं जिनमें इनके रिहायशी मकान बने हुए हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(ख0नं0)

एवं विक्रय की सम्पूर्ण राशि प्रतिवादी नहन्या ने अपने पास रख ली। इसके अतिरिक्त पक्षकारों के बुजुर्ग भोला की कुछ जमीन रेल विभाग में अवाप्त हुई जिसकी मुआवजा राशि प्रतिवादी नहन्या ने अपने पास ही रख ली है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नहन्या का कोई हिस्सा नहीं रहता है।

—प्रतिवादी नं0 1, 3 ता 5

9. आया भूमि ख0नं0 983 में प्रतिवादी देवचंद ने 2 पुख्ता कमरे, 2 छानपोश मकान बना रखे हैं जो करीब 20 साल पुराने हैं। ख0नं0 981, 982, 983 को देवचंद के तीनों पुत्र भरतलाल, शिवलाल व रामसहाय ने अलग अलग बांट रखा है एवं प्रतिवादीगण इसी अनुसार भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

—प्रतिवादी सं01, 3 ता 5

10.आया वादी नं0 1, 2 प्रतिवादी नं0 1 की खास व सगी बहनें है इसलिए वे प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में से ही भूमि मांग सकती है प्रतिवादी नं0 2 से नहीं। इसलिए वादीगण का दावा प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्ध खारिज होने योग्य है।

—प्रतिवादी नं0 2

11.अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने मूल रसीद पंजीयन दिनांक 19.6.96 प्रदर्श–1, मूल विक्रयपत्र दिनांक 19.6.96 प्रदर्श–2, नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003 से 2022 ग्राम खूंटला सलोना प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2026 से 2029 ग्राम खूंटला प्रदर्श–4, प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 प्रदर्श–6, प्रदर्श–7, प्रदर्श–8, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण विभाग प्रदर्श–9, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श–10 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी मुकेश कराए हैं। इनके अतिरिक्त नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 128, 120, 46, 119, 51 ग्राम खूंटलासलोना भी प्रस्तुत किए हैं। वादीगण के अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में ग्राम खूंटलासलोना में स्थित रही है। ग्राम खूंटला सलोना में से ग्राम सलोना पृथक से गांव बन जाने के कारण वादग्रस्त भूमि के ख0नं0 29, 32, 1026, 1027, 1681 ग्राम खूंटलासलोना में है तथा ख0नं0 980, 981, 982, 983, 995, 1010 ग्राम सलोना में है। अतः इसी अनुसार वाद का निर्णय किया जावे।

दिनांक 8.4.2019 को प्रतिवादीगण एवं [illegible] प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई। वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है। वादीगण गंगाधर की पुत्रियां हैं। गंगाधर की भूमि में वादीगण का जन्म से ही हित नीहित है परन्तु वादीगण के नाम उनके हित व हिस्से की भूमि का इन्द्राज खातेदारी नहीं दिया गया है जिसके लिए उन्होने यह वाद प्रस्तुत किया है। वकील वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 के वारिस परभात्या, मुकेश, रामनिवास, रमेशी, रामनिवासी का 1/4 हिस्सा दर्ज करने का निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में वकील वादीगण ने न्याय दृष्टान्त 2002 डी0एन0जे0(रेवेन्यू) पेज 1214 प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का अवलोकन किया। वादीगण के बाबा भोलू पुत्र काना की खातेदारी में भूमि एकीकरण से पूर्व भूमि ख0नं0 45 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, ख0नं0 48 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, ख0नं0 897 रकबा 12 विस्वा, ख0नं0 1149 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, ख0नं0 1202 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा, ख0नं0 1370 रकबा 6 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1518 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, ख0नं0 1533 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा कुल रकबा 23 बीघा 7 विस्वा ग्राम खूंटलासलोना दर्ज रही है। भूमि एकीकरण सं0 2018 में इस भूमि के ख0नं0 14, 380, 390, 13, 389, 809 कुल रकबा 23 बीघा 5 विस्वा बनाए गए एवं वर्तमान भू–प्रबन्ध में इस भूमि के नवीन ख0नं0 29, 32, 981, 982, 995, 1010, 1681, 980, 983, 1026, 1027 कुल रकबा 5.67 है0 बनाए गए हैं। भोलू के मरने के बाद भूमि एकीकरण में भूमि ख0नं0 14 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा, ख0नं0 380 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा तथा ख0नं0 390 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा कुल रकबा 10 बीघा 8 विस्वा नहन्या पुत्र भोडया के नाम तथा भूमि ख0नं0 13, 389, 809 कुल रकबा 12 बीघा 17 विस्वा गंगाधर पुत्र भोलू के नाम दर्ज की गई जो गलत है। यह भूमि पैत्रक आराजियात थी जिसमें वादीगण का भी 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि में 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 29 रकबा 0.57 है0, ख0नं0 32 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 1026 रकबा 0.16 है0, ख0नं0

श्रीमती लक्ष्मा वगैरा बनाम देवचन्द वगैरा, दावा

(9)

1027 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 1681 रकबा 0.35 है0 ग्राम खूंटलासलोना ख0नं0 980 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 981 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 982 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 983 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 995 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 1010 रकबा 0.76 है0 ग्राम सलोना में वादी संख्या 1 श्रीमती लक्ष्मा पुत्री गंगाधर पत्नी भजन जाति बैरवा निवासी गढखेडा तहसील नादौती को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2/1 परभात्या पुत्र रामचन्द जाति बैरवा नि0 भयपुरा तह0 वामनवास को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वादीगण के नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व अभिलेख में खातेदारी अंकित की जावे एवं राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/3/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीणा)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested